26/6/25

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

रामखिलाडी बगै0 बनाम खिल्लू वगै0

दावा बाबत् 88, 89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 103/2023

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नं. 665 रकवा 0.36 हैक्टे., 666 रकवा 0.17 हैक्टे., 667 रकवा 0.18 हैक्टे., 668 रकवा 0.18 हैक्टे., 669 रकवा 0.18 हैक्टे., 670 रकवा 0.18 हैक्टे., 671 रकवा 0.18 हैक्टे., 672 रकवा 0.18 हैक्टे., कुल किता 8 कुल रकवा 1.61 हैक्टे. वाके ग्राम कटारा तहसील नदबई में प्रतिवादीगण के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन कर वादी संख्या 01 को 1/9 में वाहिस्सा बरावर व प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 10 को 1/9 हिस्सा में वाहिस्सा बरावर व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को 1/3 हिस्सा में वाहिस्सा बरावर व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 को 1/18 का वाहिस्सा बरावर व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 को 1/18 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 को 1/18 हिस्सा में वाहिस्सा बरावर व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 13/4 को 1/18 हिस्सा में वाहिस्सा बरावर व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 15 को 1/18 हिस्सा वाके ग्राम कटारा तहसील नदबई काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

केज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह —————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ————— की अदा करें ।

व दसक्त व मुहर अदालत के आज तारीख 02/06/25 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत————— 2/6/25

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज॰)

मुददई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय		
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर वावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. रामखिलाडी पुत्र रघुवीर जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. कमलसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. विजयसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. ओमप्रकाश उर्फ ओमी पुत्र रामस्वरूप जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. बच्चूसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. लालाराम पि0 रामकिशन जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. विश्राम पि0 रामकिशन जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. धनसिंह पि0 रामकिशन जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. सुशीला पुत्री रामकिशन जाति माली निवासी ब्रम्हपुर तहसील कठूमर जिला भरतपुर।
10. धनप्यारी पत्नि रामकिशन जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

--वादीगण

बनाम

1. खिल्लूराम पि0 परभाती जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. गोविन्दसिंह पि0 परभाती जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. भजनलाल पि0 परभाती जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. रामभरोसी पि0 परभाती जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

– असल प्रतिवादीगण

5. मदनलाल पि0 सुखपाल जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. हीरासिंह पि0 सुखपाल जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. समन्दर सिंह पि0 सुखपाल जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. उगन्ती पत्नि दामो जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. गंगा वेवा सुसरिया जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. बुद्धा (मृतक) पुत्र हरख्याल
    - 10/1 मोहिनी पुत्र बुद्धा जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
    - 10/2 रामेश्वर पुत्र बुद्धा जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
    - 10/3 कुन्ती पुत्र बुद्धा (मृतक)
    - 10/3/1 राधेश्याम पुत्र कुन्ती जाति माली निवासी बेला तहसील सीकरी जिला डीग
    - 10/3/2 सीताराम पुत्र कुन्ती जाति माली निवासी बेला तहसील सीकरी जिला डीग
    - 10/3/3 हेमलता पुत्री कुन्ती जाति माली निवासी बेला तहसील सीकरी जिला डीग
11. कल्ली उर्फ जावित्री पुत्री बुद्धा कौम माली निवासी कटारा हाल निवासी बेला तहसील सीकरी जिला डीग
12. रामो देवी पुत्री बुद्धा जाति माली निवासी कटारा हाल आबाद टोडाभीम जिला करौली
13. भूरजी (मृतक)
    - 13/1 सुगड सिंह पिस0 भूरजी जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
    - 13/2 सुरेश पि0 भूरजी जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
    - 13/3 गुड्डी पुत्री भूरजी जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
    - 13/4 लक्ष्मा पुत्री भूरजी जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
14. बालो पुत्र हरख्याल जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
15. तेजो वेवा बाबूलाल जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नदबई जिला भरतपुर।
17. उपपंजीयक नदबई।
18. श्रीमान प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, नदबई ... भरतपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)
2/6/25

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 103/2023
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
जीसीएमएस नंबर 2023/205
निर्णय दिनांक – 02.06.2025

1. रामखिलाडी पुत्र रघुवीर जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. कमलसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. विजयसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. ओमप्रकाश उर्फ ओमी पुत्र रामस्वरूप जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. बच्चूसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. लालाराम पि0 रामकिशन जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. विश्राम पि0 रामकिशन जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. धनसिंह पि0 रामकिशन जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. सुशीला पुत्री रामकिशन जाति माली निवासी ब्रम्हपुर तहसील कठूमर जिला भरतपुर।
10. धनप्यारी पत्नि रामकिशन जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

–वादीगण

बनाम

1. खिल्लूराम पि0 परभाती जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. गोविन्दसिंह पि0 परभाती जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. भजनलाल पि0 परभाती जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested

2/6/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

4. रामभरोसी पि0 परभाती जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

— असल प्रतिवादीगण

5. मदनलाल पि0 सुखपाल जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

6. हीरासिंह पि0 सुखपाल जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

7. समन्दर सिंह पि0 सुखपाल जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

8. उगन्ती पत्नि दामो जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

9. गंगा वेवा सुसरिया जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

10. बुद्धा (मृतक) पुत्र हरख्याल

10/1 मोहिनी पुत्र बुद्धा जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

10/2 रामेश्वर पुत्र बुद्धा जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

10/3 कुन्ती पुत्र बुद्धा (मृतक)

10/3/1 राधेश्याम पुत्र कुन्ती जाति माली निवासी बेला तहसील सीकरी जिला डीग

10/3/2 सीताराम पुत्र कुन्ती जाति माली निवासी बेला तहसील सीकरी जिला डीग

10/3/3 हेमलता पुत्री कुन्ती जाति माली निवासी बेला तहसील सीकरी जिला डीग

11. कल्ली उर्फ जावित्री पुत्री बुद्धा कौम माली निवासी कटारा हाल निवासी बेला तहसील सीकरी जिला डीग

12. रामो देवी पुत्री बुद्धा जाति माली निवासी कटारा हाल आबाद टोडाभीम जिला करौली

13. भूरजी (मृतक)

13/1 सुगड सिंह पिस0 भूरजी जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

13/2 सुरेश पि0 भूरजी जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

13/3 गुड्डी पुत्री भूरजी जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

13/4 लक्ष्मा पुत्री भूरजी जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested

2/6/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

14. चालो पुत्र हरख्याल जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
15. तेजो वेवा बाबूलाल जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
17. उपपंजीयक नदबई।
18. श्रीमान प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैक, नदबई।

तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री महेन्द्र सिंह मीणा एड.(वादी)

श्री प्रेम चंद शर्मा एड0 (प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय

दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत् पेश किया जो संक्षिप्त में इस प्रकार है--

1. यह कि मुकदमा फरीकेन में सभी पक्षकारान बालिग तथा स्वस्थ चित्त है तथा दावा लडने योग्य है।
2. यह है कि आराजी खसरा नं. 665 रकवा 0.36 हैक्टे., 666 रकवा 0.17 हैक्टे., 667 रकवा 0.18 हैक्टे., 668 रकवा 0.18 हैक्टे., 669 रकवा 0.18 हैक्टे., 670 रकवा 0.18 हैक्टे., 671 रकवा 0.18 हैक्टे., 672 रकवा 0.18 हैक्टे., कुल किता 8 कुल रकवा 1.61 हैक्टे. वाके ग्राम कटारा तहसील नदबई में स्थित है।
3. यह है कि विवादित आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा जरिये रजि0 वयनामा दिनांक 30.11.2011 को सम्पूर्ण आराजी का 1/3 हिस्सा वादीगण द्वारा व 1/3 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 15 द्वारा जरिये रजि0 वयनामा 4,50,000 रूपये में खरीद किया था। तथा वक्त खरीद से ही वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 15 अपने हिस्सा मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वयनामा वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा ही कराया गया था। जिसमें 2/3 हिस्सा सम्पूर्ण आराजी का प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 द्वारा बेचान कर निस्तारण किया गया था। परंतु असल प्रतिवादीगण संख्या 01 [illegible] द्वारा विक्रय शुदा आराजी का कृषि कार्ड द्वारा ऋण [illegible] वादीगण [illegible] तरतीवी प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested

2/6/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 5 लगायत 15 के विरूद्व खिलाफ मौका व कानून के होते हुए वयनामा पंजीबद्व करा लिया। इसलिए विकय शुदा आराजी पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 4 द्वारा ही ऋण चुकता कराने के अधिकारी है। तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 05 लगायत 15 रहन मुक्त कराते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 असल के द्वारा रहन चुकता कराने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि वादपत्र वादीगण वयनामा के आधार पर हिस्सा विभाजित करते हुए वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 15 के कब्जे के आधार पर निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे।

(अ) यह है कि विवादित आराजी वर्णित वादपत्र में अंकित आराजी वयनामा के आधार पर वादीगण केतागण व तरतीवी प्रतिवादीगण केतागण के हिस्से वादी संख्या 01, 1/9 में वाहिस्सा बरावर व प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 10 –1/9 हिस्सा में वाहिस्सा बरावर व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को 1/3 हिस्सा में वाहिस्सा बरावर व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 को 1/18 का वाहिस्सा बरावर व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 – 1/18 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 को 1/18 हिस्सा में वाहिस्सा बरावर व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 13/4 को 1/18 हिस्सा में वाहिस्सा बरावर व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 15 को 1/18 हिस्सा वाके ग्राम कटारा तहसील नदबई को अंकन राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे तथा असल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के हिस्से में रहन रकवा दर्ज किया जावे। तथा वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 15 के रकवे को रहन मुक्त करते हुए हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अंकन किया जावे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असल संख्या 01 लगायत 4 की ओर से प्रेमचंद शर्मा एडवो. द्वारा जबावदावा पेश किया गया। तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 10/3/1 लगायत 10/3/3 एवं 13/1 लगायत 13/4 की ओर से श्री रमेश देशवार एडवो0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जबाव पेश किया जो संक्षेप में निम्न प्रकार है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested

2/6/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

1. यह है कि वादीगण ने रजि0 बयनामा दिनांक 30.11.2021 के अनुसार बयनामा के आधार पर हिस्से सही अंकित नहीं किये है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 4 द्वारा उक्त आराजी का बेचान करते समय पूर्व में ही पी.एन.बी शाखा नदबई में रहन रखी हुई थी। और वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को स्वयं ही उक्त आराजी के रहन होने का पता था इसके बावजूद भी उन्होनें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 से यह कह के रजिस्ट्री करा ली तहसीलदार हमारा जानकार है हम रहन में ही रजिस्ट्री करा लेंगे। इसमें प्रतिवादी गण संख्या 1 लगायत 4 की कोई बदयंति नहीं थी। तथा वक्त बयनामा वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण व असल प्रतिवादीगण के मध्य यह समझौता हुआ कि उक्त के0सी0सी को को हम वादी व तर0 प्रतिवादीगण ही भरेंगे। तथा लॉन चुकता होने पर दाखिला खारिज करा लेंगे। इसलिए वादीगण असल प्रतिवादीगण से किसी प्रकार का लोन चुकता करा पाने का अधिकारी नहीं है। तथा वादीगण द्वारा दावे मे जो रामकिशन पुत्र रघुवीर जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई है जो कि अब फौत हो चुका है तथा उसके वारिसानों में वादीगण संख्या 6 लगायत 9 के अलावा उनकी एक जीवित पत्नि धनप्यारी भी मौजूद है। जिसको वादीगण ने पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इसलिए यह दावा चलने योग्य नहीं है।

2. दिनांक 30.11.2011 के रजि0 बयनामा में केता बुद्दा पुत्र हरख्याल जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर भी अन्य हिस्सेदारों के साथ केता है। जो भी अब फौत हो चुका है। उसके भी वारिसान तर0 प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 के अलावा तीन पुत्रियां कमशः कल्ली, कुन्ती व रमा है। जिनमें से अब कुन्ती पुत्री बुद्दा भी फौत हो चुकी है। जिनमें भी तीन वारिसान दो पुत्र राधेश्याम, सीताराम व एक पुत्री हेमलात भी जीवित है। अतः वादीगण ने दावा करते समय बुद्दा पुत्र हरख्याल के वारिसान कल्ली व रामा तथा राधेश्याम सीताराम व हेमलता को भी पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इसलिए यह दावा चलने योग्य नहीं है। तथा वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण का मौके पर कब्जा नहीं है। तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested

24/6/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज•)

Scanned with OKEN Scanner

वयनामा के आधार पर भी वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के हिस्से भी अलग--अलग है।

3. यह है कि खाता संख्या 451 के खसरा नम्बरा कुल किता 8 जो कि दावा मे दर्ज है। कुल रकवा 1.61 हैक्टे. वाके ग्राम कटारा तहसील नदवई में स्थित है। जिनके प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 वाहिस्सा बराबर 1/4, 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। तथा प्रतिवादीगण ने अपने कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पी.एन.बी शाखा से केडिट कार्ड बहुत पहले से ले रखा है। यानि वक्त वयनामा भूमि रहन मे दर्ज थी। लेकिन वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण ने असल प्रतिवादीगण से उक्त कृषि भूमि को खरीदने का सौदा किया और उन्होनें प्रतिवादी असल से कहा कि यह कृषि भुमि रहन में रखी हुई है। तो हमें इस बात से आपत्ति नहीं है। हमारी तहसीलदार से जानकारी है हम आराजी को रहन होने के बावजूद वयनामा करा लेंगे। और उसका दाखिला खारिज कराते समय हम तुम्हारे लॉन को चुकता कर देंगे। और जो तुम्हारे वयनामा के रूप्ये होते है। उनमें से लॉन के रूप्ये काटकर हम असल प्रतिवादीगण को दे दिये और असल प्रतिवादीगण ने वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को दिनांक 30.11.2011 को समझौते की बातों के आधार पर वयनामा करा दिया इसलिए प्रतिवादीगण की लॉन चुकता करने में बदयंति नहीं है। लॉन चुकता करने की जिम्मेदारी वादी व तर0 प्रतिवादीगण की है।

4. यह है कि दावा में वर्णित आराजी का वयनामा असल प्रतिवादीगण ने दिनांक 30.11.2011 को इस प्रकार कराया था कि सुआ, रामखिलाडी व रामकिशन हिस्सा 1/3 तथा मदनलाल हीरासिंह, समन्दर व उगन्ती हिस्सा 1/18 व गंगा हिस्सा 1/18 बुद्धा भूरजी व बालो हिस्सा 3/18 व तेजो हिस्सा 1/18 के आधार पर रजि0 वयनामा कराया था। लेकिन वादीगण ने अपने दावा में वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का हिस्से अनुसार वयनामा के हिस्से का अंकन अपने दावा में नहीं किया है।

5. यह है कि दावा में वर्णित आराजी जिसका रजि0 वयनामा प्रतिवादीगण असल द्वारा दिनांक 30.11.2011 को वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested

2/6/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कराया गया है। जिसमें सुआ, रामखिलाडी, रामकिशन को 1/3 हिस्से का वयनामा कराया था। जिसमें से रामकिशन पुत्र रघुवीर जाति माली निवासी कटारा तहसील नदबई फौत हो चुका है। जिसमें वारिसान वादीगण संख्या 6 लगायत 7 है इसके अलावा उनकी जीवित पत्नि धनप्यारी भी है। जिनको वादीगण ने पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इसलिए दावा चलने योग्य नहीं है। इसी वयनामा में बुद्वा, भूरजी वालो को 3/18 हिस्से का वयनामा कराया था। जिसमे बुद्वा पुत्र हरख्याल जाति माली निवासी कटारा भी फौत हो चुकी है। जिसमे कायम मुकाम वारिसान दो पुत्र राधेश्याम व सीताराम व एक पुत्री हेमलता जीवित है। अतः बुद्वा के कायम मुकाम वारिसान कल्ली व रामा व राधेश्याम व सीताराम व हेमलता को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इसके पश्चात तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है–

1. आया विवादित आराजी में से 1/3 हिस्सा वादीगण व 1/3 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के क्रय किया गया। अतः वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण 1/3, 1/3 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है।

–जिम्मे वादीगण

2. आया विवादित आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा लिये गये किसान केडिट कार्ड को प्रतिवादीगण की शेष बची आराजी हिस्सा 1/3 पर अंकन करा पाने के अधिकारी है।

–जिम्मे वादीगण

3. आया विवादित आराजी का वयनामा के आधार पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी का हिस्सा अलग–अलग है। प्रतिवादीगण एवं वादीगण के मध्य ऋण/रहन चुकाने के संबध में वयनामा से पूर्व सहमति हुई थी। अतः दावा चलने योग्य नहीं है।

– जिम्मे प्रतिवादीगण

4. दीगर दादरसी।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन ... प्रतिलिपि संवत 2074–2077 वाके ग्राम कटारा, सत्यप्रतिलिपि ... 30.11.2011 वाके ग्राम ~~उंच~~ कटारा पेश किये गये। मौखिक ... में वादी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested

2/6/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

रामखिलाडी पुत्र रघुवीर सिंह जाति माली निवासी कटारा पी0डब्ल्यू–01, खिल्लूराम पुत्र परभाती जाति माली निवासी कटारा डी0डब्ल्यू–01, भजनलाल पुत्र परभाती जाति माली निवासी कटारा डी0डब्ल्यू–02, के शपथ–पत्र पेश किए गए।

हमने वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश नियत की गई। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है--

1. आया विवादित आराजी में से 1/3 हिस्सा वादीगण व 1/3 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 से क्रय किया गया। अतः वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण 1/3, 1/3 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण का था। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 30.11.2011 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा 1/3 हिस्सा वादीगण एवं तरवीवी प्रतिवादीगण 5 लगायत 14 ने 1/3 हिस्सा क्रय किया गया। वक्त खरीद से ही वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 15 अपने हिस्सा मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी द्वारा प्रस्तुत बयनामा प्रदर्श–1 के अनुसार वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 14 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। अतः उक्त तनकी वादीगण के हक में तय की जाती है।

2. आया विवादित आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा लिये गये किसान केडिट कार्ड को प्रतिवादीगण की शेष बची आराजी हिस्सा 1/3 पर अंकन करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण का है। बयनामा वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा ही कराया गया था। जिसमें 2/3 हिस्सा सम्पूर्ण आराजी का प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 द्वारा बेचान कर निस्तारण किया गया था। परंतु असल प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 4 द्वारा विक्रय शुदा आराजी का कृषि कार्ड द्वारा ऋण उठाकर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 15 के विरूद्व बयनामा करा लिया। इसलिए विक्रय शुदा आराजी [illegible] वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण कब्जे काश्त के आधार [illegible] के अधिकारी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested

2/6/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 4 द्वारा ही ऋण चुकता कराने के अधिकारी है। अतः उक्त तनकी वादीगण के हक में तय की जाती है।

3. आया विवादित आराजी का वयनामा के आधार पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी का हिस्सा अलग–अलग है। प्रतिवादीगण एवं वादीगण के मध्य ऋण/रहन चुकाने के संबध में वयनामा से पूर्व सहमति हुई थी। अतः दावा चलने योग्य नहीं है। उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण का है।वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को स्वयं ही उक्त आराजी के रहन होने का पता था इसके बावजूद भी उन्होंनं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 से यह रजिस्ट्री करवा ली। वयनामा के वक्त वादी, प्रतिवादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के मध्य एक समझौता हुआ कि के.सी.सी को हम वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण ही भरेंगे एवं लॉन चुकता होने पर दाखिला खारिज करा लेंगे। इस प्रकार का कोई लिखित समझौता प्रतिवादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है तथा न ही कोई रिकॉर्ड पेश किया गया है। अतः साक्ष्य एवं सबूतों के अभाव में तनकी सिद्व नहीं की जा सकती है। अतः तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व एवं वादीगण के हक में तय की जाती है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया। उक्त विवेचन से तनकीबार निर्णय निम्न प्रकार है– विवादित आराजी वर्णित वादपत्र में अंकित आराजी वयनामा के आधार पर वादीगण केतागण व तरतीवी प्रतिवादीगण केतागण के हिस्से वादी संख्या 01, 1/9 में वाहिस्सा बरावर व प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 10 को 1/9 हिस्सा में वाहिस्सा बरावर व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को 1/3 हिस्सा में वाहिस्सा बरावर व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 को 1/18 का वाहिस्सा बरावर व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 को 1/18 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 को 1/18 हिस्सा में वाहिस्सा बरावर व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 13/4 को 1/18 हिस्सा में वाहिस्सा बरावर व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 15 को 1/18 हिस्सा वाके ग्राम कटारा तहसील नदबई को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन जाना एवं प्रतिवादीगण के नाम [illegible] गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested

24/6/25

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

::आदेश::

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नं. 665 रकवा 0.36 हैक्टे., 666 रकवा 0.17 हैक्टे., 667 रकवा 0.18 हैक्टे., 668 रकवा 0.18 हैक्टे., 669 रकवा 0.18 हैक्टे., 670 रकवा 0.18 हैक्टे., 671 रकवा 0.18 हैक्टे., 672 रकवा 0.18 हैक्टे., कुल किता 8 कुल रकवा 1.61 हैक्टे. वाके ग्राम कटारा तहसील नदबई में प्रतिवादीगण के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन कर वादी संख्या 01 को 1/9 में वाहिस्सा बरावर व प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 10 को 1/9 हिस्सा में वाहिस्सा बरावर व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को 1/3 हिस्सा में वाहिस्सा बरावर व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 को 1/18 का वाहिस्सा बरावर व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 को 1/18 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 को 1/18 हिस्सा में वाहिस्सा बरावर व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 13/4 को 1/18 हिस्सा में वाहिस्सा बरावर व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 15 को 1/18 हिस्सा वाके ग्राम कटारा तहसील नदबई काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

2/6/25
(गंगाधर मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner